**संख्या-480/2023/आई/343500 /41-1002(001)/194/2021-237(बजट)/2021**

प्रेषक,

अश्विनी कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 04 जून, 2023**

**विषय:-जनपद संतकबीरनगर तहसील-मेंहदावल स्थित पंचमुखीनाथ मंदिर/पक्का पोखरा का पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1056/6-1-1(1352)/2022-23 दिनांक 30.05.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त योजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-06/2022/आई/129065/41-1002(001)/194 /2021-237 (बजट)/2021 दिनांक 04.01.2022 द्वारा जनपद संतकबीरनगर तहसील-मेंहदावल स्थित पंचमुखीनाथ मंदिर/पक्का पोखरा का पर्यटन विकास कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-06/2022/आई/129065/41-1002(001)/194 /2021-237 (बजट)/2021 दिनांक 04.01.2022 एवं शासनादेश संख्या-402/2022/आई/184023/001-237-बजट-2021 दिनांक 29.06.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रू0 45.00 लाख को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को **एक सप्ताह** के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अश्विनी कुमार पाण्डेय )
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (UPCLDF), लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- सहायक अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (UPCLDF), बस्ती।
10- उप निदेशक, पर्यटन, बस्ती एवं अयोध्या मण्डल सिद्धार्थनगर।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in